ताशीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 05/2018 दलीपराम बनाम अणची आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
29.07.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि में पंहुच के लिए चक 47 एन पी के मु.नं. 36 प.नं. 228/334 के कि.नं. 21–22 में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में प्रार्थीया(अप्रार्थी सं. 1) की 0.475 है0 भूमि ही हैं। प्रार्थीया के पास मात्र यही भूमि हैं। प्रार्थी को अपनी जोत जाने के लिए छोटा व सुलभ रास्ता चक 47 एन पी मु.नं. 36 कि.नं. 5–6–15 हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। भू.अभिलेख निरीक्षक बगीचा से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। बहस पक्षकारान सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया एवं वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थीया के पास मात्र 0.475है भूमि होने एवं प्रार्थी के पास सुगम वैकल्पिक रास्ता होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष के अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक बगीचा के अनुसार चक 47 एन पी के मु.नं. 36 प.नं. 228/334 के कि.नं. 16 से 18, 23 से 25 प्रत्येक 0.253है कुल 1.518है नहरी भूमि प्रार्थी दलीपराम वल्द गंगाराम कौम बावरी सा0 बगीचा के नाम खातेदारी दर्ज हैं। जो एसबीआई शाखा रायसिंहनगर के रहन हैं। चक 47 एन पी के मु.नं. 36 प. नं. 228/334 में कि.नं. 1–10–11–19/2 20 ता 22 कुल 1.519है भूमि नहरी अणचीदेवी पत्नी सुरजाराम 0.475है0 कमला पत्नी ओमप्रकाश 0.208है, भादरराम वल्द सुरजाराम 0.836है कौम बावरी सा. बगीचा के नाम खातेदारी दर्ज हैं। प्रार्थी के कि. नं. 16 ता 18, 23 से 25 को वर्तमान में कहीं से भी रास्ते की सुविधा उपलब्ध नही है। कि.नं. 21–22 में से रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थी को निकटतम दूरी से रास्ते की सुविधा उपलब्ध हो सकती है क्योंकि कि.नं. 21 के पश्चिमी पासा मे रास्ता पूर्व से ही स्वीकृत है। जो मौके पर चालू है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण की भूमि में से 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि के बदले उतनी ही भूमि अप्रार्थीगण को उनकी जोत से सटती भूमि देगा की शर्त पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर चक 47 एन पी के मु.नं. 36 प.नं. 228/334 के कि.नं. 21–22 में से 2–2 बिस्वा गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर नियमानुसार रास्ते में आई भूमि के समान भूमि प्रार्थी के रकबे से कम करते हुए खातेदार अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करें। तथा उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। आदेश सुनाया गया। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner